(2)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 196/2021

श्याम सुन्दर, प्लाट ए–58, विक्की हाउस (शिशुपाल सदन), राजगढ रोड, नियर बस स्टेण्ड, पिलानी 333031, मो0न0 9468827200, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिनांक 29.09.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 196/2021 पर दिनांक 14.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/3044–45 दिनांक 15.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0/सं0–36/2021/42 दिनांक 28.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2021 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र मे वर्णित सूचनायें प्रश्नवाचक है। जहां तक श्री श्याम सुन्दर द्वारा चाही गई सूचनायें उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप मे कोई भी सामग्री इसमे किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप मे धारित अभिलेख, दस्तावेज ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकडों संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 प. 22 (16)प्रसु/सुअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 मे यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना मे क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पीटिशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टों बनाम गोवा राज्य मे स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे मे क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर को इस कार्यालय के पत्रांक 30 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा इस संबंध मे सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित। प्रार्थी ने कथन किया कि वह ज्यादा पढा लिखा नही है। उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0/सं0–36/2021/41 दिनांक 28.09.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2021 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र मे वर्णित सूचनायें प्रश्नवाचक है। जहां तक श्री श्याम सुन्दर द्वारा चाही गई सूचनायें उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप मे कोई भी सामग्री इसमे किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप मे धारित अभिलेख,

दस्तावेज ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस, विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकडों संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र सं0 प. 22 (16)प्रसु/सुअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 मे यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना मे क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलित नही है। रिट पीटिशन सं0 419/2007 डा0 सेलसा पिण्टों बनाम गोवा राज्य मे स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे मे क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर को उनके कार्यालय के पत्रांक 30 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा इस संबंध मे सूचित किया जा चुका है। चूंकि प्रार्थी ज्यादा पढा लिखा नही है। प्रार्थी को सूचना दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करवाकर उसे चाही गई सूचना निर्धारित शुल्क प्राप्त कर 7 दिवस मे आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुंझुनूं

29/9/21